उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020

राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन

उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020

ड्राफ्ट

उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020

1. प्रस्तावना

भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के माध्यम से होने वाला जल यातायात/नौपरिवहन प्रदेश के अनेक निवासियों के लिये जीवनधारा का कार्य करता है। प्रदेश में जनसमूहों, पशुओं, मध्यम भार की मशीनों, रोजमर्रा मानवीय आवश्यकताओं की सामग्रियों आदि का आवागमन इस जल यातायात/नौपरिवहन द्वारा किया जाता है। प्रदेश में अन्तर्देशीय नौपरिवहन हेतु देशी मानव चलित तथा यान्त्रिक चलित नौकाये प्रयोग में लायी जाती है। अन्तर्देशीय नौपरिवहन के दौरान कतिपय स्थानों पर नौका दुर्घटनायें हो जाती हैं जिनमें काफी मात्रा में जन–धन–पशु हानि होती है। उत्तर प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर्वतीय देश नेपाल से मिलती है। मानसूनी वर्षाकाल में नेपाल देश में वर्षा होने पर भारत में प्रवेश करने वाली नदियों का जल प्रवाह अत्यन्त द्रुत व जटिल होने के कारण नौका दुर्घटना की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है।

प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व व त्योहारों के समय परम्परागत रूप से नदियों के तटीय स्थानों पर अनेक मेलों, बाजारों व धार्मिक स्नानों का आयोजन होता है जिसमें शामिल होने के लिये नदियों के आर–पार से आने वाले जन समूहों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। इस दौरान नौका संचालकों द्वारा नौकाओं में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने व सामानों को लादने के कारण गम्भीर नौका दुर्घटनायें होती है।

इन नौका दुर्घटनाओं के अध्ययन में पाया गया कि जीर्ण–शीर्ण, क्षतिग्रस्त व पुरानी नौकाओं द्वारा अपनी भारवाही क्षमता से अधिक भार का नौवाहन किये जाने, नौका की भौतिक दशाओं, संरचनाओं व उनके परिचालन गतिविधियों के समुचित सत्यापन का अभाव, नौका संचालकों का खराब या शून्य प्रशिक्षण, उनकी खतरनाक कार्यशैली, नौपरिवहन सम्बन्धी कानूनों का वास्तविक रूप से पालन न किये जाने आदि कारणों से ये दुर्घटनायें घटित होती है। ऐसी परिस्थितियों में जल यातायात/नौपरिवहन से सम्बन्धित प्रदेश के विभागों/निकायों से सम्यक विचार विमर्श करते हुये प्रदेश में सुरक्षित नौपरिवहन हेतु एक मार्गदर्शिका बनाये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–46615/2015 टीना श्रीवास्तव व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 का सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"10. In our view, it's a fit case where State of U.P. through Chief Secretary should be directed to look into the matter and formulate an appropriate policy to take care for the safety of large number of people visiting rivers every day and not only appropriate safety measures/safety apparatus etc. should be provided but a mechanism should also be made available for implementation there of "

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1917) के क्रम में प्रदेश में उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 वर्तमान में अधिसूचित है।

2. नाव दुर्घटना के प्रमुख कारण–

2.1 पानी के बहाव की तीव्र गति के कारण दुर्घटना की आशंका प्रबल रहती है।

2.2 अयोग्य चालक दल–जिस तरह नए वाहन चालकों द्वारा वाहन दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वैसे ही अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा नाव के संचालन में शामिल होने से उच्च जोखिम रहता है।

2.3 क्षमता से अधिक भार के लदान/लोगों के सवार होने के कारण दुर्घटना का जोखिम रहता है।

2.4 क्षतिग्रस्त नाव या कई बार नाव की तेज रफ्तार के कारण नौका दुर्घटनाएं होती हैं।

2.5 सुरक्षा मानकों को पूरा न करने के कारण दुर्घटना की आवृत्ति व प्रबलता बढ़ जाती है।

2.6 दोषपूर्ण नाव डिजाइन होने के कारण नौका संचालन में त्रुटि व गलती हो जाती है, जिसके कारण नौका दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है।

2.7 नाव में कभी–कभी यात्री हंगामा या अराजकता पैदा करते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं।

2.8 जब चालक मादक पदार्थ के नशे में होता है, तो दुर्घटना की आशंका अधिक होती है।

2.9 खराब मौसम–गंभीर नौका दुर्घटनाओं का यह एक प्रमुख कारण है।

3. नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन, न्यूनीकरण व सुरक्षा तथा नाविकों के विकास व कल्याण हेतु विभिन्न समितियों/विभागों/निकायों/संघों/संगठनों के दायित्वः–

देशी मानव चलित (नॉन मैकेनाइज्ड) नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण व सुरक्षा तथा नाविकों के विकास व कल्याण हेतु विभिन्न समितियों/विभागों/निकायों/ संघों/संगठनों आदि द्वारा नाव सुरक्षा से संबंधित विद्यमान समस्त नियमों व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन नाव दुर्घटना सुरक्षा 2017 में उल्लिखित समस्त दायित्वों के निर्वहन और प्रदेश में संचालित योजनाओं के माध्यम से नाविकों के समग्र विकास व कल्याण हेतु निम्नलिखित दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन भी सुनिश्चित किया जायेगा :–

3.1–जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति'–

3.1.1. नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण एवं नाविक कल्याण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति' होगीः–

क0 सं0	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	ए0आर0टी0ओ0 (परिवहन विभाग)	सदस्य
5	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6	नगर विकास विभाग के अधिकारी	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग	सदस्य
8	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में कार्यरत किसी नाविक/मछुवारा संघ का अध्यक्ष या सदस्य	सदस्य
9	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
10	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
11	श्रम/कौशल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
12	ए0डी0एम0 (वि0/रा0)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण	सदस्य संयोजक
13	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विशेष आमंत्री	सदस्य

3.1.2 जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति' इस नीति का तथा नौका संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के संबंध में निर्गत समस्त नियमों/नियमावलियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा निर्गत गाईडलाइन, "National Disaster

Management Guidelines for Boat Safety-2017" आदि में उल्लिखित समस्त कार्यवाहियों का क्रियान्वयन तथा नाविकों को प्रदेश में संचालित विकास व कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाना सुनिश्चित करायेगी।

3.1.3. जनपद में तहसील स्तर पर गठित समस्त 'तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति', नौका संचालकों के एसोसिएशन/संघ, नदी तटों पर आयोजित होने वाले मेला/बाजार के आयोजनकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों आदि स्टेकहोल्डर्स के साथ जिला स्तरीय समिति प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक बैठको का आयोजन करेगी। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन मानसून प्रारम्भ से पूर्व, धार्मिक स्नानों/मेलों के पूर्व भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इन बैठको में नौका दुर्घटना प्रबंधन व सुरक्षा में आने वाली बाधाओं के संबंध में विचार–विमर्श कर जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित 'तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति' को आवश्यक निर्देश देते हुये उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.1.4. तहसील स्तरीय समिति को प्रदान किये गये उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी।

3.1.5. बड़े धार्मिक स्नानों, मेलों के दौरान नौका घाटों व नौकाओं का जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण कराया जायेगा और इन समारोहों व नौका यात्राओं के सुगम व दुर्घटना रहित संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों, सेवाओं व व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.6. जिला स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि तहसील के सभी घाटों पर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मॉकड्रिल/अभ्यास नियमित समयान्तराल पर कराया जाये, विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (अधिकतम 10 जून) तक तथा नदी तटों पर आयोजित होने वाले मेलों/धार्मिक स्नानों के पूर्व अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। मॉकड्रिल/अभ्यास के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों व हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ाया जायेगा।

3.1.7. राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा नाव दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि के मानक दरों के अनुसार मृतक तथा घायल होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के प्राविधान के अनुसार जिला स्तरीय समिति उक्त आर्थिक सहायता प्रभावित परिवार को ससमय प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करायेगी।

3.1.8. एन0डी0एम0ए0 द्वारा जारी बोट सेफ्टी गाइडलाइन 2017 में उल्लिखित संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन व क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

3.1.9. नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण तथा नाविकों के कल्याण व विकास हेतु जनपद की समस्त तहसीलों में गठित "तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति", "ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" तथा नाविकों व गोताखोरों के प्रशिक्षण के संबंध में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन0डी0आर0एफ0,

एस0डीआर0एफ0, पी0ए0सी0 व जल पुलिस आदि के सहयोग से इन समितियों के प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.10 नाव दुर्घटनाओं का विवरण एकत्र कर राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.11 जिला स्तरीय समिति द्वारा तहसील तथा ग्राम पंचायत/नगर पंचायत स्तरीय समितियों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.1.12 जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होने वाली विकास व कल्याण योजनाओं तथा एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित होने वाली स्कीम्स व वित्तीय/ऋण परियोजनाओं और कौशल विकास संबंधी योजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा।

3.1.13 जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक होंगे उन्हें लोन दिलवाने हेतु बैंक लिंकेज करवाना अथवा किसी स्कीम से आच्छादित करवाने हेतु आवश्यक समन्वय किया जायेगा व इस हेतु व्यवस्थायें बनाई जायेंगी।

3.1.14 नाविक द्वारा किसी तकनीकि सहयोग की मांग किये जाने पर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.1.15 जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी बाध्यकारी परिस्थितियों में खोज, बचाव व राहत अभियान में तत्परता व सुगमता के लिए जनपद के किसी भी प्राधिकारी/ विभाग/ व्यक्ति/ संगठन को कोई भी कार्य सौप सकेगा।

3.2–तहसील स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति'–

3.2.1 नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण तथा नाविक कल्याण हेतु जनपद की समस्त तहसीलों में "तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" का निम्नवत् गठन कराया जायेगा:–

क0सं0	**पदनाम**	**अध्यक्ष/सदस्य**
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसील के समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका	सदस्य
5	सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी)–परिवहन विभाग	सदस्य
6	तहसीलदार	सदस्य संयोजक

3.2.2 उपरोक्त "तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" द्वारा नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियां सुनिश्चित करायीं जायेंगी :–

i. उपरोक्त समिति ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति के माध्यम से अपने तहसील क्षेत्र में संचालित होने वाली समस्त नौकाओं, नौका स्वामियों, प्रचालन स्थल, नौका चालकों व गोताखोरों का विवरण मोबाइल नम्बर सहित अनिवार्य रूप से एकत्र करवायेगी और इस विवरण को रजिस्टर में दर्ज कर तहसील कार्यालय में रखे जाने की व्यवस्था करायेगी।

ii. त्वरित प्रतिक्रिया हेतु घाटों के निकट ग्रामों में निवास करने वाले गोताखोरी/तैराकी जानने वाले लोगों का प्रशिक्षणः— किसी दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए उक्त समिति द्वारा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण/पी0ए0सी0 आदि के सहयोग से नाविकों/घाटों के निकट रहने वाले गोताखोरी/तैराकी जानने वाले स्थानीय लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिलवाने हेतु आवश्यक समन्वय किया जायेगा ताकि ऐसे लोगों से किसी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया हेतु सहयोग लिया जा सके।

iii. यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि नाविकों के प्रशिक्षण का समय से आयोजन हो तथा सेफ्टी किट प्रदान की जाय।

iv. स्थानीय गोताखोरों/तैराकों की फोन नम्बर सहित सूची घाटों व प्रत्येक नौका पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह सूची तहसील व जिला स्तर पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

v. मॉकड्रिलः— तहसील के सभी घाटों पर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मॉकड्रिल/अभ्यास नियमित समयान्तराल पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. ऐसे अवसरों पर जब भीड़ एकत्र होने की सम्भावना हो तब घाटों पर कंट्रोल रूम,संचार तथा सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

vii. नाव दुर्घटनाओं का विवरण जिलाधिकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

viii. क्षेत्र में कार्यरत एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0, जल पुलिस, स्वंयसेवी संगठनों से निरन्तर समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

ix. तहसील स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत/नगर पंचायत स्तरीय समितियों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

x. नाविक द्वारा किसी तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. तहसील में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होने वाली विकास व कल्याण योजनाओं तथा एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित होने वाली स्कीम्स व वित्तीय/ऋण परियोजनाओं और कौशल विकास संबंधी योजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा।

xii. जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक होंगे उन्हें लोन दिलवाने हेतु बैंक लिंकेज करवाने अथवा किसी स्कीम से आच्छादित करवाने हेतु समन्वय किया जायेगा व इन प्रार्थनापत्रों को जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

xiii. घाटों में उपलब्ध सभी सरकारी नावों को पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा जाएगा ताकि ज्ञात हो सके कि वे सरकारी नावें है। साथ ही उन पर

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नम्बर तथा लदान क्षमता अंकित किया जायेगा।

3.3–ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति–

3.3.1 जिन ग्राम पंचायतों के भू–भाग के अंतर्गत नौकाओं/घाटों का संचालन होता है, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान व सर्किल के लेखपाल को मिलाकर एक समिति होगी जिसे "ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" कहा जायेगा। इसी प्रकार जिस वार्ड के अंतर्गत नौकाओं/घाटों का संचालन होता है, उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्षद/सभासद तथा अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी को मिलाकर एक समिति होगी जिसे "नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" कहा जायेगा।

3.3.2 संबंधित समिति द्वारा घाट पर जाकर वहॉ से संचालित हो रही नौकाओं के नाविकों से उनकी नौकाओं के निर्माण का वर्ष, लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई अनुमानित भार वाहन क्षमता, नौका परिवहन मार्ग, नौका स्वामी व नौका चालक का फोन नम्बर तथा नाव की भौतिक दशा (कंडीशन) के संबंध में स्वप्रमाणित विवरण 02 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा तथा उसकी नाव का भौतिक परीक्षण कर नाविक द्वारा प्रदत्त स्वप्रमाणपत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित तथा शहरी क्षेत्र में पार्षद/सभासद तथा अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कर उसकी एक प्रति नौका स्वामी को दी जायेगी और दूसरी प्रति ग्राम पंचायत/नगर निकाय/जोन के रजिस्टर में दर्ज करके रखी जायेगी। आवश्यकता होने पर यह समिति तकनीकी के जानकार का सहयोग प्राप्त कर सकती है।

3.3.3 प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (10 जून तक) संबंधित समिति द्वारा क्षेत्र के नाविकों तथा गोताखोरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथियां निर्धारित की जायेंगी तथा तहसील/जिला स्तरीय समिति के समन्वय से प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जायेगा। नाविकों तथा गोताखोरों को प्रथम बार 7 से 10 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तदुपरांत प्रत्येक वर्ष 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों तथा गोताखोरों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिकों को दिया जाने वाला मानदेय प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नाविकों तथा गोताखोरों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा आवश्यकतानुसार सेफ्टी किट जिसमें 02 लाइफ जैकेट, 01 लाइफबॉय, पतवार, लम्बा बांस, रस्सी, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट सामग्रियां सम्मिलित होंगी, निःशुल्क प्रदान की जायेगी। इस हेतु बजट व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी।

3.3.4 त्वरित प्रतिक्रिया हेतु घाटों के निकट ग्रामों/वार्ड/मोहल्ला में निवास करने वाले गोताखोरी/तैराकी जानने वाले लोगों का प्रशिक्षणः– किसी दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित समिति द्वारा तहसील स्तरीय समिति के सहयोग से घाटों के निकट रहने वाले गोताखोरी/तैराकी जानने वाले स्थानीय लोगों को चिन्हित कर विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा ताकि ऐसे लोगों को किसी दुर्घटना की स्थिति में

त्वरित प्रतिक्रिया हेतु प्रयोग किया जा सके। स्थानीय गोताखोरों/तैराकों का नाम, पता, दक्षता व फोन नम्बर सहित सूची घाटों व प्रत्येक नौका पर प्रदर्शित की जायेगी तथा यह सूची तहसील व जिला स्तर पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3.3.5 प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व/मेलों व धार्मिक स्नानों आदि के पूर्व घाटों पर नाविकों व गोताखारों आदि को सम्मिलित करते हुये अनिवार्य रुप से मॉकड्रिल/पूर्वाभ्यास कराया जायेगा।

3.3.6 समिति प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व नाव सुरक्षा जागरुकता सप्ताह मनायेगी तथा नाविकों, गोताखोरों व आम जनमानस को नाव सुरक्षा के संबंध में जागरुक करेगी।

3.3.7 ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति अपने ग्राम पंचायत/मोहल्ला/वार्ड के आस–पास के अन्य ग्राम पंचायतों/मोहल्लों/वार्डो में आयोजित होने वाले धार्मिक स्नानों, मेलों व बाजारों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान करके नौका घाटों से होने वाले आवागमन को सुगम बनाने के लिये तहसील स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करते हुये नौकाओं तथा नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

3.3.8 ग्राम प्रधान/पार्षद/सभासद द्वारा अपने ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित होने वाली विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं तथा विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

3.3.9 जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक होंगे उनसे इस आशय का प्रार्थनापत्र प्राप्त कर उन्हें लोन दिलवाने हेतु बैंक लिंकेज करवाने अथवा किसी स्कीम से आच्छादित करवाने हेतु इन प्रार्थनापत्रों को तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3.10 नाविक द्वारा किसी तकनीकि सहयोग की मांग किये जाने पर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.3.11 एन0डी0एम0ए0 द्वारा जारी बोट सेफ्टी गाइडलाइन 2017 में उल्लिखित संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन व क्रियान्वयन किया जायेगा।

3.3.12 नाविकों व यात्रियों के मध्य निम्नप्रकार के सुरक्षा निर्देशों को प्रचारित किया जायेगा:–

नाविकों और नौका चालकों को क्या करना चाहिए	**नाविकों और नौका चालकों को क्या नहीं करना चाहिए**
तैरने हेतु उपकरणों को साथ लें।	मादक पदार्थ का सेवन कर नौका नहीं चलाए।
लाइफ जैकेट साथ लें।	नाव की स्वीकृत क्षमता से अधिक यात्रियों को न लें।
सुरक्षा उपायों के बारे में यात्रियों के साथ संवाद करें।	तूफान की स्थिति में नाव का उपयोग न करें।
नौका का उचित रखरखाव करें।	नाव में पशु के साथ अन्य यात्रियों को न बैठाएं।
आपदा संकेत उपकरणों को साथ लें।	नाव में पशु के साथ उनके मालिक को ही बिठाएं।

संचार उपकरणों को साथ लें।	
अन्य नौकाओं और तैराकों पर अच्छी तरह नजर रखें जब पानी में हो।।	
ज्वलनशील वस्तु को सुरक्षित जगह पर रखें।	

यात्रियों को क्या करना चाहिए	यात्रियों को क्या नहीं करना चाहिए
चालक दल को सुनें।	नौका में जल्दबाजी न करें।
नियमों का पालन करें।	जहाज पर झगड़ा न करें।।
स्थल की सफाई बनाए रखें।	छोटी नाव में खड़े न रहे और स्थान न बदलें जब यह भरी हो।
	स्थल पर निर्दिष्ट क्षेत्र को पार न करें।
	चालक दल को परेशान न करें जब वे परिचालन कर रहे हों।

3.3.13 पंचायत क्षेत्र में घटित नाव दुर्घटनाओं का विवरण एकत्र किया जायेगा तथा इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी व तहसील कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

3.3.14 नदी की स्थितियों या मौसम के प्रतिकूल होने पर लोगों को सूचित किया जायेगा कि जब तक स्थिति में सुधार या अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक नौका संचालन नहीं किया जायेगा।

3.3.15 मानसून काल में सूर्यास्त के बाद सामान्य नौका परिचालन की अनुमति नही दी जायेगी। केवल बचाव व खोज कार्य में लगी नौकाओं को ही अनुमति होगी।

3.4–परिवहन विभाग–

प्रदेश में अन्तर्देशीय नौपरिवहन हेतु देशी मानव चलित तथा यान्त्रिक चलित नौकाये प्रयोग में लायी जाती है। **अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917** के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग, अनुभाग–4 द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–484/30–4–2002–47–95 दिनांक 19 अगस्त 2002 के माध्यम से यान्त्रिक चलित नौकाओं के सम्बन्ध में **उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2002** वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित है। इस नियमावली में यान्त्रिक चलित अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षण, सर्वेक्षणकर्ता के कर्तव्य व अधिकार, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण की आवश्यकता के अवसर, जलयान निर्माणकर्ता के कर्तव्य, सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु निर्धारित फीस की दरें, जलयानों की जल परिवहन हेतु उपयुक्तता, अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण,रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण व जॉच, अन्तर्देशीय जलयानों को चिन्हीकरण की प्रक्रिया,रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान के स्वामित्व का अन्तरण, अन्तर्देशीय जलयान के इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों को सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदत्त करने की प्रक्रिया, अन्तर्देशीय जलयानों में यात्रियों की सुरक्षा और वहन, अन्तर्देशीय जलयान में यात्रियों के प्रवेश को मना करने की शक्ति, भाड़े का संदाय और टिकटों का प्रयोग, यात्रियों का आचरण, यात्रियों का अन्तर्देशीय जलयान से उतारनें की शक्ति, निर्देश के पालन करने की बाध्यता तथा पालन न करने की दशा में शाक्ति, महामारी से यात्रियों की सुरक्षा, अग्नि से अन्तर्देशीय जलयान की सुरक्षा, यात्रियों को ले जा रहे अन्तर्देशीय जलयान में वस्तुओं व पशुओं की लदाई, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र को निरस्त

किये जाने की प्रक्रिया आदि की प्रक्रिया वर्णित है। यान्त्रिक चलित नौकाओं के सम्बन्ध में नौकाओं के निरीक्षण, संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण की समस्त जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी, जिसके सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायेगी।

देशी मानव चलित (नॉन मैकेनाइज्ड) नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन नाव दुर्घटना सुरक्षा 2017 में उल्लिखित निर्देशों/दायित्वों का अनुपालन कराया जायेगा तथा देशी मानव चलित (नॉन मैकेनाइज्ड) नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। नाविक द्वारा किसी तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.5– उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण –

3.5.1 उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तरीय समितियों व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समन्वय से नौका दुर्घटना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि हेतु एक्शन प्लान बनाकर उसका कियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.5.2 उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों, स्थानीय लोगों, स्थानीय निकायों तथा कॉरपोरेट संस्थाओं के पास उपलब्ध राहत एवं बचाव उपकरणों/संसाधनों को सूचीबद्ध कर ऑनलाइन इनवेन्ट्री आई0डी0आर0एन0 में फीड कराया जायेगा।

3.5.3 तत्समय प्रचलित इमरजेंसी ऑपरेशन प्रोसीजर्स की समय–समय पर जांच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह प्रासंगिक है अथवा नही है तथा उन्हे प्रासंगिक बनाये जाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3.5.4 किसी नौका इमरजेंसी/दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा हेतु तत्काल अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं तथा विभिन्न विभागों व स्थानीय स्तर के निकायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत एस0ओ0पी0 तथा एक्सीडेन्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर संबंधित को वितरित कराया जायेगा, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसे सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.5.5 नाव दुर्घटना की स्थिति में एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0, एन0डी0आर0एफ0, वायु सेना आदि की आवश्यकता होने पर आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

3.6–राजस्व विभाग –

3.6.1 राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा नाव दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य आपदा मोचक निधि की मानक दरों के अनुसार मृतक तथा घायल होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के प्राविधान के अनुसार नियत समयावधि में अहैतुक सहायता धनराशि वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.6.2 राजस्व विभाग द्वारा नाव दुर्घटना के प्रबन्धन हेतु उपकरणों की उपलब्धता तथा जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व मॉकड्रिल आदि के आयोजन तथा टूलकिट व

प्रशिक्षण के दौरान नाविकों/गोताखोरों को मानदेय हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3.6.3 राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं खोज बचाव कार्यों में लगी हुई नौकाओं/नाविकों का भुगतान अधिकतम 01 माह के अन्दर कर दिया जाए। इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रक्रिया विकसित की जाए।

3.6.4 नाव दुर्घटना होने पर राहत व बचाव कार्यों में विशेष कौशल प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों/नाविकों/गोताखोरों के लिये पुरस्कार/पारितोषिक की व्यवस्था हेतु बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3.6.5 नाव दुर्घटना होने पर खोज एवं बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों/नाविकों/गोताखोरों की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा प्राविधान किया जायेगा।

3.7–सिंचाई विभाग–

3.7.1 वर्षा काल/बाढ़ काल में विद्यमान जलाशय एवं बैराज से नदी का अनुप्रवाह (downstream) छोड़े जाने वाले पानी के निस्सरण (discharge) की पूर्व सूचना अनुप्रवाह (downstream) में पड़ने वाले समस्त जनपद के जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को दी जायेगी, जिसके आधार पर सम्बन्धित समस्त जनपदों के जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में जन सामान्य को सचेत/सुरक्षित किये जाने की तैयारी सुनिश्चित की जायेगी।

3.7.2 उन क्षेत्रों को सिंचाई विभाग द्वारा चिह्नित किया जायेगा जहां प्रायः नौका दुर्घटनायें होती हैं या जहां पानी की धारा या स्तर में परिवर्तन के कारण ग्राउंडिंग हो सकती है। इस तरह के चिन्हांकनों से नावों की ग्राउंडिंग को रोका जा सकेगा।

3.8–समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, कौशल विकास विभाग, श्रम विभाग–

3.8.1 उपरोक्त विभागों द्वारा संचालित होने वाली विकास व कल्याण योजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा।

3.8.2 एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित होने वाली स्कीम्स तथा वित्तीय व ऋण परियोजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा।

3.8.3 कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित होने वाली विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा। कौशल विकास विभाग द्वारा नाविकों हेतु विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

3.9– जल पुलिस/बाढ़ राहत कम्पनियां (गृह विभाग)–

3.9.1 जल पुलिस द्वारा नौका दुर्घटना के संबंध में लागू विभिन्न नियमों/निर्देशों के कियान्वयन के साथ–साथ निम्न दायित्वों का निर्वहन भी किया जायेगाः–

a. प्रमुख त्यौहारों तथा मेलों में स्नान के अवसर पर नदी के अन्दर जल में तीर्थ यात्रियों के स्नान करते समय समुचित व्यवस्था बनाए रखना।
b. नदी के जलमार्गीय तटीय नगरों में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना।
c. नदी में जान–माल की रक्षा करना।
d. नौका संचालन के क्षेत्र में अपराध की रोकथाम करना तथा पता लगाना।
e. जलयानों तथा सामान्य नावों की रक्षा करना।
f. बाढ़ नियंत्रण कार्य में सहायता एवं सुरक्षा क्रना।

3.9.2 मेले व नदीय तट पर एकत्रित जनसमूह (आमतौर पर त्योहारों के धार्मिक स्नान) के प्रबंधन व सुरक्षा हेतु प्रदेश के 15 जनपदों (लखनऊ, प्रयागराज, बलिया, कानपुर नगर, फैजाबाद, मथुरा, फतेहगढ़, बदायूं, बुलन्दशहर, एटा, शाहजहांपुर, इटावा, मिर्जापुर, अयोध्या तथा वाराणसी) में जल पुलिस/बाढ़ राहत कम्पनियां उपलब्ध हैं जिनमें 142 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। जल पुलिस के कार्मिकों को नौका दुर्घटना प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

3.9.3 जल पुलिस द्वारा उपलब्ध राहत खोज बचाव उपकरणों का रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्कतानुसार अतिरिक्त उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

3.9.4 मेले व नदीय तट पर एकत्रित जनसमूह (आमतौर पर त्योहारों के धार्मिक स्नान) के दौरान जल पुलिस के जवानों द्वारा उचित चौकसी बरती जायेगी यथा–तट के मानक दूरी के बाद लगी रस्सियों के आगे कोई न बढ़े और नौका संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3.10– पी0ए0सी0 तथा एस0डी0आर0एफ0 (गृह विभाग)–

3.10.1 बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यवस्थापित 17 पी0ए0सी0 वाहिनियों में एक–एक दल बाढ़ राहत से संबंधित उपकरणों एवं मोटर बोटों से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त एस0डी0आर0एफ0 बल भी गठित है जिसमें वर्तमान में 4 कम्पनियां सृजित हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा पी0ए0सी0 तथा एस0डी0आर0एफ0 कम्पनियों को आवश्यकतानुसार स्थलों में तैनात किया जायेगा। बाढ़ राहत पी0ए0सी0 कम्पनियों तथा एस0डी0आर0एफ0 के पास उपलब्ध बाढ़ राहत से संबंधित उपकरण तथा मोटर बोट को क्रियाशील रखा जायेगा तथा अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3.10.2 एस0डी0आर0एफ0 व पी0ए0सी0 के पास पर्याप्त बचाव उपकरण (लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड इत्यादि) का होना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.10.3 पी0ए0सी0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा नाविकों तथा बोट स्टाफ आदि का समय–समय पर प्रशिक्षण व मॉकड्रिल कराया जायेगा।

3.10.4 इन एजेन्सीज द्वारा स्थानीय वालेन्टियर्स, सिविल डिफेंस, युवक/महिला मंगल दल, होमगार्ड आदि को प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर क्विक रेसपांस टीम (QRT) का

गठन किया जायेगा ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक राहत कार्य तत्काल आरम्भ किये जा सकें।

3.10.5 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मार्ग दर्शन में एस0डी0आर0एफ0 व फ्लड पी0ए0सी0 द्वारा नाविकों के प्रशिक्षण तथा नदी के किनारे पर रहने वाले लोगो को जागरूक किया जायेगा। ऐसे गांव जहां नौकाएं संचालित होती हों, वहां ग्राम पंचायतों में "नाव सुरक्षा जागरूकता अभियान" छः महीने में कम से कम एक बार किया जायेगा। गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा।

3.11-पुलिस (गृह विभाग)-

3.8.1 स्थानीय पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण करने पर यदि किसी नाव में लापरवाही पायी जाती है जैसे बिना मानक के नाव का उपयोग करना, निर्धारित तय सीमा से अधिक लोगों को बैठाना, निर्धारित सीमा से अधिक भार ले जाना, पंचायत द्वारा निर्धारित रूट पर न चलना इत्यादि में लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार को सूचित किया जायेगा।

3.8.2 घाटों, जल क्रीड़ास्थलों पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना प्राथमिकता पर की जायेगी।

3.8.3 गृह विभाग द्वारा जल पुलिस/बाढ़ राहत कम्पनियों/एस0डी0आर0एफ0 को आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्थानों पर जल पुलिस/बाढ़ राहत कम्पनियों/एस0डी0आर0एफ0 की तैनाती की जायेगी।

3.9-चिकित्सा विभाग-

3.9.1 चिकित्सा विभाग नावों पर रखे जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा किट (First Aid Kit) में सम्मिलित की जाने वाली औषधियों व सामग्री की सूची तैयार कर तहसील स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेगा।

3.9.2 मेलों/बाजारों/धार्मिक स्नानों के समय समुचित संख्या में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी लगाये जायेंगे।

3.9.3 चिकित्सीय व्यवस्थाओं में उन औषधियों और उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य रूप सें की जायेगी जोकि नौका दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की समुचित इलाज के लिये आवश्यक हों। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेन्स वाहनो की व्यवस्था भी रखी जायेगी।

3.10-एन0डी0आर0एफ0-

3.10.1 नाव दुर्घटनाओं को रोकने तथा खोज और बचाव क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्थानीय समुदाय, नाविकों, तैराकों, गोताखोरों आदि के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

3.10.2 सुरक्षित नाव संचालन, प्रबन्धन व राहत कार्यो के सम्बन्ध में एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से मॉकड्रिल कराया जायेगा।

3.10.3 आवश्यकतानुसार सर्च एवं रेस्क्यू कार्य करेंगे।

3.11—नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग—

3.11.1 ग्राम पंचायत स्तरीय/नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समितियों को दिये गये दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायतीराज/नगर विकास विभाग द्वारा उनके विभाग के समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जायेंगे।

3.11.1 जिन ग्राम पंचायतों व नगर निकायों की अधिकारिता क्षेत्र में नौपरिवहन हो रहा हो उस पर ये संस्थाऐं निगरानी रखेगी कि नाविकों द्वारा नौका के यात्रियों की सुरक्षा हेतु नियमों का निरन्तर अनुपालन किया जा रहा है या नही।

3.11.2 नौका संचालकों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर इसकी सूचना ग्राम पंचायतों व नगर निकायों द्वारा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को तत्काल देंगे।

3.11.3 ग्राम पंचायतों व नगर निकायों द्वारा उन सरकारी संगठनों/संस्थाओं/कार्यालयों के दूरभाष नम्बर भी अपने पास रखा जायेगा जिनसे किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकें।

3.11.4 जिला पंचायत/नगर पंचायत द्वारा अपने अधिकारिता के नौपरिवहन घाटो, प्रयुक्त होने वाली नौकाओं की स्थिति और नौका यात्राओं का समय—समय पर निरीक्षण किया जायेगा। जिसकी निरीक्षण आख्या नियमित रूप से उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

3.11.5 समय—समय पर आम जनमानस, नाविकों, गोताखोरो आदि के लिए नाव दुर्घटना प्रबन्धन व सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष मानसून व मेलों आदि से पहले।

3.11.6 ग्राम पंचायत समिति द्वारा समय—समय पर यह औचक निरीक्षण किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में संचालित नौकाओं में यात्रियों को निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं ले जाया जा रहा है, तथा वह इस बात की सूचना तहसीलदार को प्रेषित करेंगें।

3.11.7 नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा विभिन्न घाटों पर नावों के लिए उचित लैंडिंग सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा जहां पर सूर्यास्त या शाम के बाद भी नौका परिचालन होता है, वहां रोशनी का उचित प्रबन्ध किया जायेगा।

3.12—मौसम विभाग व केन्द्रीय जल आयोग—

3.12.1 वर्षा ऋतु में खराब मौसम में दुर्घटना की आशंका रहती है यदि आगामी घंटो में खराब होने वाले मौसम या नदी के जलस्तर आदि के संबंध में जारी की जाने वाली चेतावनी की सूचना नौका संचालकों के पास ससमय पहुॅच जाये तो इस दौरान नौपरिवहन को अस्थायी रूप से रोककर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

3.12.2 मौसम विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा खराब मौसम/नदी के जलस्तर की सूचना को प्रदेश के परिवहन विभाग, पुलिस, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण तथा समस्त जिलाधिकारियों को तत्काल रूप से प्रेषित की जायेगी। इस सूचना को इन विभागों द्वारा समस्त संबंधित स्टेकहोल्डर्स को प्रेषित किया जायेगा तथा तहसील स्तरीय समिति द्वारा सभी नौका संचालको को सूचित किया जायेगा और नौपरिवहन को अस्थायी रूप से रोक दिया जायेगा या उचित समझने पर आधी क्षमता के साथ परिवहन की अनुमति दी जायेगी।

3.13–नाविक/नौका संचालकों का एसोसिएशन/संघ–

3.13.1 सुरक्षा ब्रीफिंगः–प्रत्येक यात्रा या भ्रमण की शुरूआत में, नाविक द्वारा यात्रियों को सुरक्षा ब्रीफिंग दिया जायेगा। सुरक्षा ब्रीफिंग में नौका पर निषिद्ध गतिविधियों, आपातकालीन प्रक्रियाओं, जीवन सुरक्षा जैकेट व लाईफगार्ड जैसे उपकरणों का उपयोग करने की विधि आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी। यात्रियों को नाव के एक तरफ नहीं जाने के लिए तथा नौका यात्रा के समय क्या सावधानियां बरती जायें इस हेतु नाविक द्वारा जागरुक किया जायेगा।

3.13.2 नाविक द्वारा किसी भी परिस्थिति में लोड लाइन डुबाकर नौका का परिचालन नहीं किया जायेगा। इस बात को नौका संचालकों का एसोसिएशन/संघ द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.13.3 नाविक द्वारा नौका में तथा घाटों में समुचित पर्याप्त लाइफ सेविंग इक्विपमेंट यथा–लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय, फर्स्ट–एड बॉक्स, टार्च, लम्बा बांस, रस्सी अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस व्यवस्था को नौका संचालकों के एसोसिएशन/संघ द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.13.4 नाविक/नौका संचालक एसोसिएशन/संघ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नौका में प्रवेश व यात्रा करने से मना कर सकता है जोकि विक्षिप्त है या संक्रामक रोग से ग्रस्त है या मद्यपान कर रखा है या नाविक को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या अड़चन डाल रहा हो, लदान या उतारने में हस्तक्षेप कर रहा हो, ऐसा अनपेक्षित व्यवहार कर रहा है जिससे अन्य यात्रियों से झगड़ा होने या नौका में भगदड़ होने की आशंका हो।

3.13.5 नाविकों/नौका संचालक एसोसिएशन/संघ द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन नाव दुर्घटना सुरक्षा 2017 के प्रावधानों में उल्लिखित एस0ओ0पी0, एक्सीडेन्ट मैनेजमेंट प्लान इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू इक्विपमेंट की घाट पर उपलब्धता, नाव परिवहन हेतु सुरक्षा मानकों हेतु क्या करें, क्या न करें का अनुपालन किया जायेगा।

3.13.7 सामान्यतः नाव सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच परिचालित की जाएगी, परन्तु आपातस्थिति में यदि रात्रि में संचालन किया जाना अनिवार्य हो तो इसे विशेष प्रकाश–व्यवस्था में किया जायेगा।

3.13.8 जब कभी नाव दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट या संपत्ति की क्षति हो तो नाव का प्रभारी नाविक या मांझी द्वारा तुरंत निकटतम थाना में दुर्घटना के संबंध में सूचना दी जायेगी।

3.13.9 किसी भी परिस्थिति में अन्य यात्रियों के साथ नाव में पशु को रखने की अनुमति न दी जाय। यदि किसी यात्री के साथ पशु हो, तो वैसी परिस्थिति में नाविक द्वारा अन्य यात्रियों को न बैठाकर मात्र सम्बन्धित पशु एवं उसके मालिक को ही सफर करने की अनुमति दी जायेगी।

3.13.10 नौका संचालक एसोसिएशन/संघ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि मादक पदार्थ के सेवन से मदहोश और स्वयं का ख्याल रखने में अक्षम व्यक्ति को कदापि नाव संचालन की अनुमति न दी जाय तथा मादक पदार्थ का सेवन किये हुये व्यक्ति को

यात्री के रूप में नाव पर लेने से नाविक मना कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की सहायता ली जायेगी।

3.13.11 नदी की स्थिति या मौसम के प्रतिकूल होने के दौरान नाविक क्षमता से आधी संख्या के यात्रियों को ही नौका में बैठायेंगे।

3.13.12 आवश्यकतानुसार नौकाओं की फिटनेस आदि के मूल्यांकन में तथा इस नीति में उल्लिखित दायित्वों के निर्वहन में ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तरीय समिति को सहयोग प्रदान करेंगे।

3.13.13 जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक होंगे वह लोन हेतु बैंक लिंकेज करवाने अथवा किसी स्कीम से आच्छादित होने के लिये पंचायत/नगर निकाय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकेंगें।

3.13.14 नाविक द्वारा किसी तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर प्रशासन द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान कराया जायेगा।

3.14—नदी तटों पर आयोजित होने वाले मेला/बाजार के आयोजनकर्ता—

प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व व त्योहारों के समय परम्परागत रूप से नदियों के तटीय स्थानों पर अनेक मेलों व बाजारों का आयोजन होता है जिसमें शामिल होने के लिये नदियों के आर—पार से आने वाले जन समूहों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। इस दौरान नौका संचालकों द्वारा नौकाओं मे क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने व सामानों को लादने के कारण गम्भीर नौका दुर्घटनायें होती है। इन मेला/बाजार के आयोजनकर्ताओं का यह दायित्व होगा कि पिछले वर्षों में आये हुये मेलार्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित मेला/बाजार में पहुँचने वाले मेलार्थियों की सम्भावित संख्या का आंकलन करते हुये नदी के आर—पार से आने वाले व्यक्तियों हेतु पर्याप्त नौकायें उपलब्ध कराने का अनुरोध उप जिलाधिकारी से करेंगे। मेला/बाजार आयोजनकर्ताओं के सक्षम प्रतिनिधि घाटों पर निरन्तर उपस्थित रहकर नौका यात्रियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

3.15—स्वयंसेवी संगठन—

3.15.1 क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों द्वारा नाव दुर्घटना प्रबन्धन व सुरक्षा हेतु स्कूलों, कॉलेजों, नदीय तट के क्षेत्रों इत्यादि में जागरूकता कार्यक्रम कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.15.2 नाविकों और यात्रियों को नौका दुर्घटना आपदा के बचाव के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग दिया जायेगा।

3.15.3 स्वंयसेवी संगठनों से नाविकों को निःशुल्क बचाव उपकरण (लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड आदि) उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

4. नाव दुर्घटना होने पर पीड़ित को देय सहायता धनराशिः–

नाव दुर्घटना होने पर राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) से पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा तहसीलों के माध्यम से देय होती है। नाव दुर्घटना होने पर पीडित को देय सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दरें निम्नवत् हैं।

राज्य आपदा मोचक निधि (S.D.R.F.) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (N.D.R.F.) से सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दरें। (एम0एच0ए0 पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015)	
मद	**सहायता की मानक दरें**
अहैतुक सहायता (GRATUITOUS RELIEF)	
(क) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	**रू0 4.00 लाख/प्रति मृतक** ❖ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राहत कार्य अथवा पूर्व तैयारी में लगे हुए व्यक्ति भी सम्मिलित हैं इस शर्त के साथ कि सक्षम प्राधिकारी (Appropriate authority) द्वारा मृत्यु के कारण का प्रमाणीकरण किया गया है।
(ख) किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता	❖ **रू0 59,100/– प्रति व्यक्ति** उस दशा में जब शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य हो। ❖ **रू0 2.00 लाख प्रति व्यक्ति** उस दशा में जब शारीरिक विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो। इस शर्त के साथ कि सरकारी अस्पताल या डिस्पेन्सरी के चिकित्सक द्वारा शारीरिक विकलांगता की सीमा तथा कारण प्रमाणित किया गया हो।
(ग) गम्भीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े।	❖ **रू0 12,700/– प्रति व्यक्ति** (गम्भीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो) ❖ **रू0 4,300/– प्रति व्यक्ति** (गम्भीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो।)
पशुपालन–लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता। (Animal Husbandry Assistance to Small and Marginal Farmers)	
(i) दुधारू, कृषि भारवाहक पशु का प्रतिस्थापन (Replacement of milch animals, drought animals or animals used forhaulage.)	<u>**दुधारू पशु** (Milch Animals)–</u> **रू0 30,000/–** भैंस/गाय/ऊँट/याक/ मिथुन आदि। **रू0 3,000/–** भेड़/बकरी/सुअर । <u>**गैर दुधारू पशु** (Drought Animals)–</u> **रू0 25,000/–** ऊँट/घोड़ा/बैल आदि **रू0 16,000/–** Calf (गाय या भैंस का बछड़ा)/गधा/टट्टू/खच्चर) ❖ देय सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं की क्षति के लिए ही सीमित होगी। इस सहायता को देने में प्रति परिवार अधिकतम 03 बड़े दुधारू पशु या 30 छोटे दुधारू पशु या 03 बड़े गैर दुधारू पशु या 06 छोटे गैर दुधारू पशु की सीलिंग लागू होगी। चाहे प्रति परिवार अधिक संख्या में पशु क्षति हुई हो। (क्षति का प्रमाणीकरण, राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।) <u>**कुक्कुट** (Poultry)-</u> ❖ रू0 50/– प्रति पक्षी की दर से। प्रति लाभान्वित परिवार को अधिकतम रू0 5,000/– की सीलिंग तक सहायता देय होगी। कुक्कुट की क्षति प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप होनी चाहिये। नोटः किसी अन्य सरकारी योजना में सहायता के उपलब्ध होने पर, उक्त मदों में राहत अनुमन्य नहीं होगी उदाहरणार्थ एवियन इनफ्लुएंजा या ऐसी अन्य कोई बीमारी जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा सहायता की विशिष्ट योजना लागू हो।